

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पिठासीन अधिकारी :- श्री अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 135/2024

- 1 निर्मल कुमार पुत्र श्री सीताराम जाति बिश्नोई निवासी बिलोचावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान। -- वादी

-- वनाम :-

- 1 सीताराम पुत्र श्री हेतराम जाति बिश्नोई निवासी बिलोचावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2 अन्जु पत्नी सीताराम जाति बिश्नोई निवासी बिलोचावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3 पुजा पुत्री सीताराम जाति बिश्नोई निवासी बिलोचावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा। -- प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा :- 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

निर्णय दिनांक :- 26-7-24

वादी की और से श्री धन्नाराम सुथार अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की और से श्री विनोद कुमार बिश्नोई अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 4 की और से राज पैरोकार इस वाद में आज दिनांक 26-7-24 को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 53, के अन्तर्गत वाद में वर्णित तहसील पीलीबंगा के प्रतिवादी संख्या 1 सीताराम पुत्र श्री हेतराम जाति बिश्नोई निवासी बिलोचावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ के नाम से तहसील पीलीबंगा के चक चक 1 एल.के.एस. के खाता संख्या 81/76 के पत्थर नम्बर 29/279 (21) के किला नम्बर 16 ता 20, 25 की 1.518 हैक्टर व पत्थर नम्बर 30/279 (22) किला नम्बर 21, 22, 23/2/.126 की 0.632 हैक्टर इस प्रकार कुल 2.150 हैक्टर नहरी खातेदारी भूमि में वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 को निम्ननुसार खातेदार घोषित कर खाता विभाजन किया जाता है :-

वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त भूमि का विवरण निम्नानुसार है :-

(क) वादी निर्मल कुमार पुत्र श्री सीताराम जाति बिश्नोई निवासी बिलोचावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ को घरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि :-

चक नम्बर	खाता संख्या	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	तादादी
1 एल.के.एस.	81/76	29/279 (21)	17 ता 20	1.012 हैक्टर

(ख) प्रतिवादी संख्या 1 सीताराम पुत्र श्री हेतराम जाति बिश्नोई निवासी बिलोचावाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ को घरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि :-

चक नम्बर	खाता संख्या	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	तादादी
1 एल.के.एस.	81/76	29/279 (21)	16, 25	0.506 हैक्टर
		30/279 (22)	21, 22, 23/2/.126	0.632 हैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड़ पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे। तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/ गैरमुमकिन/गैर खातेदार) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 26-7-24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(अमिता बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

-- वाद के खर्चे :-

वादी	रूपया	प्रतिवादी	
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	--	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	--
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	--	अर्जी के लिये स्टाम्प	--
प्रदर्शी के लिये स्टाम्प	--	प्लीडर की फीस	--
..... रूपये पर प्लीडर की फीस	--	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	--
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	--	आदेशिका की तामिल	--
कमिश्नर की फीस	--	कमिश्नर की फीस	--
आदेशिका की तामिल	--		--
योग	--	योग	--